No. 2022/HQ/Admin/RTI-1331 **New Delhi: 20.10.2022**

श्री पवन कुमार
पुत्र श्री महकार सिंह
निवासी ग्राम खिर्वा नौआबाद
तहसील सरधना, जिला मेरठ
मोबाइल-9258185523

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 30.09.2022, जो CGM/मेरठ के कार्यालय द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 19.10.2022 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 01 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)
संयुक्त महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
मोबाइल-9717636811

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
Office: 3rd Floor, Shri Bala Complex, (Opp. Subharti University), Ved Vyaspuri, By Pass Road, NH-58, Meerut-250002, Telefax: 121-2439040

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

पत्रांक–एम0टी0सी0 / ई0एन0 / आर0टी0आई0 / भाग–VIII

दिनाक– 10.10.2022

19.10.2022

जे.जी.एम. / एडमिन (सीपीआईओ).
डीएफसीसीआईएल, कार्पोरेट ऑफिस,
न्यू दिल्ली।

विषयः– जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आवेदनकर्ता श्री पवन कुमार पुत्र श्री महकार सिहं, निवासी ग्राम–खिर्वा नौआबाद, तहसील– सरधना, जिला– मेरठ व फोन नं0 – 9258185523, जो कि डाक माध्य से दिनांक– 03.10.2022 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र में श्री पवन कुमार पुत्र श्री महकार सिहं, निवासी ग्राम–खिर्वा नौआबाद, तहसील– सरधना, जिला– मेरठ के सम्बन्ध मे जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नवत सूचना चाही गयी हैः–

क्र0सं0	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	प्रार्थी को पूर्नवास पूर्नव्यास्थापन के लिए 5,50,000 / – रूपये की राशि क्यो नही दी जा रही है।	• पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन धनराशि का वितरण सक्षम प्राधिकारी–भू0अ0 की आख्या के आधार पर एक खसरा के उन सभी भू–स्वामियों जोकि विस्थापित अथवा भूमि हीन हो गये है, में उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में भूमि प्रतिकर का भुगतान किया गया है। अभी तक सक्षम प्राधिकारी–भू0अ0 के कार्यालय से आख्या प्राप्त नही हुई है। आख्या प्राप्त होने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
2	भारत सरकार द्वारा पारित आदेश की कॉपी दी जाये। जिसके अनुपालन में पूर्नवास, पुर्नव्यास्थापन की धनराशि नही दी जा रही है।	• ऐसा कोई आदेश नही है।

संलग्नकः– आवेदनकर्ता का प्रार्थना पत्र।

19/10/2022

उप परियोजना प्रबन्धक / विद्युत
उप जनसूचना अधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपिः–
1 मुख्य महाप्रबन्धक / डीएफसीआईएल, मेरठ– को सूचनार्थ प्रेषित।
2 जीएम / एमए / ईसी–III – को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3 जेजीएम / एमए / ईसी–II – को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।